न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,लखनऊ ।

<u>सत्र परीक्षण स0.0000884/2015</u>

सरकार.....बनाम.....गुड्डू फिन्नन

<u>आरोप</u>

मैं, एस0ए0एच0रिजवी, विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट, लखनऊ एतद्द्वारा आप **गुड्डू फिन्नन** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँः–

1. यह कि दिनांक 12/06/11 को समय 15.30 बजे स्थान मोहल्ल सुजानपुर थाना आलमबाग जिला लखनऊ में आप ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा रेखा जो अनुसूचित जाति की सदस्य है,के घर मे उसके साथ,उसके भाई व बहन के साथ मारपीट करने के आशय से घुसे और इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 452** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने अपने सामान्य आशय की पूर्ति में वादिनी मुकदमा रेख की की बहन माला व भाई शत्रुध्न को लाठी–डंडे व राड से मारकर साधारण प्रकृति की चोटे पहुॅचायी और इसप्रकार से उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा रेखा जोकि अनुसूचति जाति की सदस्य है, की बहन माला व भाई शत्रुध्न को जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया व गंदी–गंदी गालियां दी और इसप्रकार उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 504** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप ने वादिनी मुकदमा रेखा की बहन माला व भाई शत्रुध्न को जानमाल की धमकी दिया और इस प्रकार आप ने उसके द्वारा एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **भा0दं0सं0 की धारा 506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

5. यह कि उपरोक्त दिनांक,समय एवं स्थान पर आप वादिनी मुकदमा रेखा के भाई व बहन को यह जानते हुए कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य है, घर मे घुसकर मारपीट की,गंदी–गंदी गालियां व जाति सूचक शब्दो से अपमानित किया व जानमाल की धमकी दी। इसप्रकार से उसके द्वारा आप ने एक ऐसा अपराध कारित किया जोकि **धारा 3(1)10 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट** के अधीन दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक :08 / 02 / 2016

(एस0ए0एच0रिजवी),
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होनें इंकार किया तथा विचारण की याचना की ।

दिनॉक :08 / 02 / 2016

(एस0ए0एच0रिजवी)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0 / एस0टी0एक्ट /
अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0एक्ट/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ।

सत्र परीक्षण स0:0000884/2015

सरकार बनाम गुड्डू उर्फ फन्नन

08–02–2016

पुकारा गया। अभियुक्त **गुड्डू उर्फ फन्नन** उपस्थित हैं।

अभियुक्त के विरुद्व थाना आलमबाग द्वारा आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 452,323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट प्रस्तुत किया गया है।

आरोप के विन्दु पर विद्वान अभियोजन अधिकारी एंव अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया एंव पत्रावली का परिशीलन किया गया।

अभियेाजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोप विरचित किये जाने पर बल दिया। इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से कहा गया कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य नहीं है । अतः उन्हें उन्मोचित किया जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस अभिलेखों से अभियुक्त के विरुद्व प्रथम दृष्टया आरोप अन्तर्गत धारा 452,323,504,506 भादंसं0 व धारा 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट गठित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त पर उपरोक्त धाराओ में आरोप पृथक पत्र पर विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। उन्होनें आरोप अस्वीकार किया तथा परीक्षण चाहा।

अभियोजन साक्षी तलब हों। पत्रावली दिनॉक.....को साक्ष्य हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0एक्ट,
लखनऊ।